यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल** के माह 11/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा देवेन्द्र दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दयाशंकर वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.11.2016 से 07.12.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखपारीक्षा श्री रामवीर सिंह सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं नवीन कुमार मौर्य लेखापरीक्षक के द्वारा दिनांक 25/11/2014 से 04/12/2014 तक श्री रणवीर सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था जिसमें माह 12/2010 से 10/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

   अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल का मुख्य कार्यकलाप विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा आवंटित निर्माण कार्यों का सम्पादन आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं।

   जनपद नैनीताल के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय		
2014-15		1620.72	348.86	314.14	1101.54	958.09		1764.17
2015-16		1764.17	364.67	355.80	1189.21	1416.28		1537.10
2016-17 up to sep. 2016		1537.10	483.43	244.44	325.15	761.94		1100.31

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**अधिक्य (+)/ बचत (-)**
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17 (up to Sep 2016)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत निर्माण कार्य हेतु बजट का आवंटन विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत है।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखपरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 10/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षाक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-तीन

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
34/88-89	1,2	-
23/92-93	1	-
29/93-94	1,3	-
187/95-96	-	2
111/96-97	1	1,2,3
04/2001-02	-	1,2,3,4
09/2002-03	-	1,2
65/2004-05	1	-
84/2005-06	1,2,3	-
60/2006-07	-	-
64/2010-11	2	-
120/2014-15	1	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अप्रस्तु				

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 1:- उदासीनता एवं अनुश्रवण अभाव के कारण रू. 14.21 लाख के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रस्तर 292 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदान किये गए अग्रिम की वसूली/ समायोजन नियत समय पर कर लिया जाना चाहिए। अग्रिमों का समायोजन न दिये जाने की स्थिति में दंडात्मक ब्याज भी लगाए जाने का वित्तीय नियमों में प्रावधान है।

विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा विभिन्न फार्मों से सामग्री के क्रय हेतु एवं विभिन्न कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि प्रदान की गयी जिसे दस वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी दिये गए अग्रिमों का समायोजन नहीं किया गया, इस प्रकार सम्प्रेक्षा अवधि तक कुल धनराशि **रू. 14,20,635.52** (संलग्न प्रारूप के अनुसार) का समायोजन किया जाना अभी शेष है। अतः उक्त राशियों को यथा शीघ्र समायोजित किया जाना चाहिए था, लेकिन विभाग द्वारा उक्त धनराशियों का समायोजन लेखापरीक्षा अवधि (अक्टूबर 2016) तक नहीं किया गया। जिस कारण 14.21 लाख की धनराशि विभिन्न फार्मों एवं विभिन्न कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों के पास सम्प्रेक्षा अवधि तक असमायोजित पड़ी है। विभाग द्वारा दो से पाँच वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी दिये गए उक्त अग्रिमों का समायोजन न किया जाने से यह स्पष्ट होता है कि विभागीय अनुश्रवण के अभाव में धनराशि का समायोजन न किया जाकर विभिन्न फार्मों/ कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से धनराशि रू॰ 14.21 लाख का लाभ पहुंचाया गया।

उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि उक्त अग्रिमों में से अधिकांश धनराशियाँ उत्तराखण्ड गठन के पूर्व से लम्बित हैं। उक्त कर्मचारियों में से 10 अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्य खण्ड में हो गया है तथा 02 अधिकारी सेवानिवृत हो चुके हैं, उनसे वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा दस वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उक्त अग्रिमों का समायोजन न किए जाने की स्थिति में दंडात्मक ब्याज भी प्रश्नगत अधिकारी/कर्मचारियों पर नहीं लगाया गया, इस प्रकार अधिकारी/कर्मचारियों से अग्रिमों का समायोजन न किया जाना विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव का परिचायक था।

अतः उदासीनता एवं अनुश्रवण अभाव के कारण रू. 14.21 लाख के अग्रिमों का समायोजन न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 2:- विभागीय उदासीनता के कारण 41.40 लाख की धनराशि व्यय होने के पश्चात भी उद्देश्यों की पूर्ति न होना ।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विध्यालय, सुरंग, ओखलकाण्डा में मुख्य भवन (01 सेक्सन) के निर्माण हेतु रू॰ 62.19 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। विभाग को उक्त निर्माण कार्य के लिए प्रथम किश्त के रूप रुपए 31.10 लाख अवमुक्त किए गए। उक्त कार्य के लिए अनुबन्ध संख्या - 33/एस॰ई॰/2013-14 दिनांक 12-09-2013 को गठित किया गया। निर्माण कार्य दिनांक 12-09-2013 से प्रारम्भ कर दिनांक 11-11-2014 तक 14 माह मे पूर्ण करना था ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से संपादित किया जा रहा था, जिससे उक्त कार्य समय से पूरा नहीं हुआ बिना किसी अर्थदण्ड के विभाग द्वारा ठेकेदार को सात माह की समयवृद्धि स्वीकृत कर दी गयी । जिस कारण अब निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि 08-06-2015 थी , परन्तु संप्रेक्षा तिथि (नवम्बर 2016) तक, निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि बीतने के दो वर्ष बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण था तथा जून 2016 तक 55.97 लाख की धनराशि विभाग को प्राप्त हो गयी । कार्य मे देरी होने के पश्चात भी ठेकेदार से कोई दण्ड वसूले जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही उसका अनुबंध निरस्त किया गया। जिससे ठेकेदार को कार्य समय से न करने के बढ़ावा मिल रहा है, जो स्पष्ट करता है कि विभागीय उदासीनता के कारण 41.40 लाख की धनराशि व्यय होने के पश्चात भी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई ।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि ठेकेदार को 41.40 लाख का भुगतान किया जा चुका है कार्य प्रगतिरत है समय से कार्य पूर्ण न किए जाने के कारण ठेकेदार के अन्तिम देयक से यथोचित अर्थदण्ड की वसूली कर ली जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग के द्वारा कार्य मे देरी होने के पश्चात भी ठेकेदार से कोई दण्ड वसूले जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही उसका अनुबंध निरस्त किया गया ।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण 41.40 लाख की धनराशि व्यय होने के पश्चात भी उद्देश्यों की पूर्ति न होने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-पाँच

आभार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गएः

- **विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**
- **सतत् अनियमितताएः**
- शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	इं इन्द्र लाल आर्य	अधिशासी अभियंता	11/2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।